सत्यमेव जयते

श्रीमती आनंदीबेन पटेल

राज्यपाल, मध्यप्रदेश

का

अभिभाषण

मध्यप्रदेश विधानसभा अधिवेशन

3 फाल्गुन, 1942 शक

भोपाल, सोमवार 22 फरवरी, 2021

माननीय अध्यक्ष एवं माननीय सदस्यगण,

1. सभी सम्माननीय सदस्यों का हार्दिक स्वागत।

2. पन्द्रहवीं विधानसभा के तीसरे बजट सत्र में सदन को संबोधित करते हुए मुझे अत्यंत प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है। देश की आजादी का अमृत महोत्सव प्रारंभ हो चुका है। आत्म-निर्भर भारत के निर्माण की आधार-शिला के रूप में नये संसद भवन की नींव का पत्थर रख दिया गया है। माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान् नरेंद्र मोदी जी के कुशल और प्रभावी नेतृत्व में देश आशाओं और विश्वास की एक नई करवट ले रहा है।

3. अब से ग्यारह मांह पहले मेरी सरकांर ने विषम परिस्थितियों में प्रदेश का कार्यभार संभाला था। उस समय एक ओर कोरोना महामारी प्रदेश में तेजी से अपने पैर पसार रही थी, तो दूसरी ओर सरकार की वित्तीय स्थिति ठीक नहीं थी। प्रदेश में चारों ओर अविश्वास, असमंजस, आशंका और अव्यवस्था का वातावरण था। मेरी सरकार ने बिना एक भी क्षण गवाएं युद्ध स्तर पर दो मोर्चों पर कार्य करना प्रारंभ किया। पहला कोरोना महामारी के संक्रमण की प्रभावी रोकथाम और दूसरा, अर्थ-व्यवस्था एवं आम आदमी की आजीविका की सुरक्षा का प्रबंधन।

4. ऐसे कठिन और चुनौतीपूर्ण समय में भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी 130 करोड़ भारतीयों के लिये आशा और विश्वास की किरण के रूप में सामने आये, जिससे जन-जन में कोरोना की जंग जीतने का सकारात्मक उत्साह संचरित होने लगा। प्रधानमंत्रीजी के एक आव्हान पर पूरा देश एक साथ खड़ा हो गया। प्रधानमंत्रीजी के कुशल नेतृत्व एवं मार्गदर्शन में लिये गये फैसलों के कारण भारत ने अपने नागरिकों की कोविड से रक्षा की और पूरे विश्व के समक्ष आपदा प्रबंधन का एक जीता-जागता उदाहरण बना।

5. मेरी सरकार द्वारा कोरोना संक्रमण की त्वरित एवं प्रभावी रोकथाम के लिये आईडेन्टीफिकेशन, आइसोलेशन, टेस्टिंग और ट्रीटमेंट (आई.आई.टी.टी.) की रणनीति

अपनायी गयी। "किल कोरोना" महाभियान के माध्यम से घर-घर जाकर संक्रमितों एवं संभावित संक्रमितों की पहचान हेतु सर्वे किया गया। संक्रमण से प्रभावित मरीजों एवं उनके संपर्क में आये लोगों की ट्रेसिंग, सेम्पलिंग, टेस्टिंग की पुख्ता व्यवस्था के साथ ही क्वारेंटाईन एवं आइसोलेशन के पर्याप्त प्रबंध किये गये।

6. कोविड प्रभावितों के उपचार के लिए टेस्टिंग किट, पी.पी.ई. किट, ऑक्सीजन सिलेण्डर एवं बेड्स आदि की पर्याप्त उपलब्धता उस समय एक बड़ी चुनौती थी। मेरी सरकार द्वारा कोविड प्रबंधन हेतु किये गये चौतरफा प्रयासों का ही परिणाम था कि मार्च, 2020 में जहाँ राज्य की टेस्टिंग क्षमता मात्र 300 थी, वह बढ़कर 30 हजार से अधिक हो गयी है। टेस्टिंग लैब की संख्या 3 से बढ़कर 32 हो गई है। 11 माह पूर्व प्रदेश में कोविड हेतु ढाई हजार जनरल बेड्स, 230 ऑक्सीजन बेड्स और 537 आई.सी.यू. बेड्स उपलब्ध थे, जिनकी संख्या बढ़कर 5 हजार से अधिक जनरल बेड्स, 9 हजार से अधिक ऑक्सीजन बेड्स और 3 हजार से अधिक आई.सी.यू. बेड्स हो गयी हैं। मार्च, 2020 में पी.पी.ई. किट्स की उपलब्धता लगभग 18 हजार और टेस्टिंग किट की उपलब्धता मात्र 620 ही थी। वर्तमान में हमारे पास 3 लाख 50 हजार से अधिक पी.पी.ई. किट्स एवं लगभग 2 लाख 40 हजार से अधिक टेस्टिंग किट उपलब्ध हैं।

7. मेरी सरकार द्वारा विगत 11 माह में प्रदेश में अस्पताल प्रबंधन पर विशेष ध्यान दिया गया है। निजी अस्पतालों के साथ अनुबंध निष्पादित कर वहाँ संक्रमित मरीजों के नि:शुल्क उपचार की सुविधाएँ उपलब्ध कराई गईं। 700 से अधिक फीवर क्लीनिक संचालित किए जा रहे हैं। मेरी सरकार द्वारा कोविड के उन्मूलन की दिशा में किये गये सतत प्रयासों, प्रदेश के नागरिकों के अपार समर्थन और भारत सरकार के निरंतर सहयोग के कारण हम महामारी पर विजयश्री की ओर अग्रसर है।

8. मुझे सदन को यह अवगत कराते हुए प्रसन्नता है कि मेरी सरकार द्वारा अर्थ-व्यवस्था को पटरी पर लाने और नागरिकों की आजीविका की रक्षा के मोर्चे पर प्रभावी ढंग से कार्य किया गया है। लॉकडाउन के दौरान प्रवासी श्रमिकों की स्क्रीनिंग, भोजन, रोज़गार, राशन, विश्राम, पेयजल, दवा, स्वास्थ्य परीक्षण तथा परिवहन आदि के लिए मध्यप्रदेश सरकार द्वारा की गई सुनियोजित एवं संवेदनशील पहल की देशभर में सराहना हुई है। राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री प्रवासी मजदूर सहायता योजना लागू कर 1 लाख 55 हजार श्रमिकों के खातों में 15 करोड़ 50 लाख रुपये की राशि अंतरित की है। प्रदेश के इतिहास के सबसे बड़े "श्रम-सिद्धि" अभियान के माध्यम से अकुशल प्रवासी श्रमिकों के लिए रोज़गार उपलब्ध कराया गया।

9. मेरी सरकार अंतिम पंक्ति के अंतिम व्यक्ति के कल्याण के लिए समर्पित है। राज्य के खजाने पर सबसे पहला हक गरीबों का है। इसीलिये कोरोना काल में गरीबों की बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सरकार हर समय संवेदनशील एवं तत्पर रही है। विभिन्न सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं, आहार अनुदान योजना, संबल योजना, लाड़ली लक्ष्मी योजना, मध्यान्ह भोजन योजना, छात्रवृत्ति भुगतान, खाद्य सुरक्षा भत्ता, किसान सम्मान निधि, फसल बीमा राशि, प्रतिभा प्रोत्साहन राशि, ग्रामीण एवं शहरी आवास योजनाओं की राशि, पथ विक्रेता योजना की ऋण राशि तथा फसल उपार्जन की राशि सीधे सिंगल क्लिक के माध्यम से हितग्राहियों के खातों में अंतरित की गई है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से हर पात्र व्यक्ति तक राशन की पहुँच सुनिश्चित की गई है। मुझे प्रसन्नता है कि चाहे अधोसंरचना हो या आर्थिक गतिविधियाँ, चाहे शिक्षा हो या स्वास्थ्य, चाहे योजनाओं और कार्यक्रमों का क्रियान्वयन हो या फिर लोक सेवाओं का प्रदाय, मेरी सरकार ने कोरोना के अत्यन्त कठिन समय में भी विपरीत परिस्थितियों का सामना कर सभी मोर्चों पर कुशलता और कर्मठता से राजधर्म का निर्वहन किया है।

10. मैं कोरोना संक्रमण में अपनी जान की बाजी लगाकर दिन-रात कार्य करने वाले सभी स्वास्थ्य कर्मियों,

फ्रंटलाईन वर्कर्स और अन्य सभी कोरोना योद्धाओं का कोटि – कोटि अभिनंदन करती हूँ। मैं अपने प्राण न्यौछावर करने वाले कोरोना योद्धाओं के प्रति हार्दिक श्रृद्धांजलि अर्पित करती हूँ। राज्य सरकार ने अब तक 26 कोरोना योद्धाओं के परिवारों को 13 करोड़ रुपये की राशि प्रदान की है।कोरोना के विरुद्ध जंग में कन्धे से कन्धा मिलाकर सरकार के सहयोग के लिए प्रदेश की जनता का भी मैं अंतर्मन से आभार व्यक्त करती हूँ ।

11. यह सदन प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के कुशल नेतृत्व और मार्गदर्शन के प्रति आभार व्यक्त करता है, जिन्होंने कोरोना की इस अग्नि-परीक्षा में हमें सफल बनाया।

12. माननीय प्रधानमंत्रीजी ने कोविड की आपदा को अवसर में बदलने और मुश्किल को मुमकिन में बदलने का अद्‌भुत मंत्र दिया-"आत्म-निर्भरता"। संकट के समय में माननीय प्रधानमंत्रीजी के आव्हान पर आत्म-निर्भर भारत के निर्माण का संकल्प पूरे देश ने लिया। एक राष्ट्र तभी सच्चे अर्थों में आत्म-निर्भर हो सकता है, जब उसके सारे राज्य भी आत्म-निर्भरता में अग्रणी बने।

13. मुझे खुशी है कि मेरी सरकार द्वारा देश में सबसे पहले "आत्म-निर्भर मध्यप्रदेश" का रोडमैप तैयार किया

गया है। भौतिक अधोसंरचना, सुशासन, स्वास्थ्य एवं शिक्षा और अर्थ-व्यवस्था एवं रोज़गार इस रोडमैप के चार स्तंभ है।

14. "आत्म-निर्भर मध्यप्रदेश" के निर्माण में सुशासन की सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका है। नागरिकों के कार्य सुगमता के साथ, बिना लिये-दिये और बिना चक्कर लगाये समय से सम्पन्न हो - यही सुशासन का केन्द्र-बिन्दु है।

15. सी.एम.हेल्पलाईन सेवाओं का विस्तार करते हुए मेरी सरकार द्वारा 181 सी.एम.जनसेवा योजना प्रारंभ की गई है। इसके माध्यम से प्रदेश के नागरिक टोल फ्री नंबर 181 पर कॉल करके स्थानीय निवासी प्रमाण-पत्र,आय प्रमाण-पत्र, खसरे की नकल, खतौनी और नक्शे की प्रति अपने मोबाईल फोन पर प्राप्त कर सकते हैं।

16. मेरी सरकार द्वारा प्रदेश के नागरिकों का सिंगल सिटीजन डेटाबेस और सेवा प्रदाय करने के लिये एकीकृत सिंगल पोर्टल का निर्माण करने की दिशा में भी कार्य किया जा रहा है।

17. सुशासन की संकल्पना को सही अर्थों में तभी साकार किया जा सकता है जब प्रदेश असामाजिक तत्वों और माफिया से मुक्त हो। इसी लक्ष्य को ध्यान में रखकर मेरी सरकार द्वारा शराब माफिया, ड्रग माफिया, भू-माफिया, अतिक्रमण माफिया, साइबर माफिया, रेत माफिया, राशन

माफिया, चिटफण्ड माफिया, हिस्ट्री शीटर, महिलाओं और बेटियों के विरूद्ध अपराध करने वाले तत्वों के विरूद्ध कड़ी कार्यवाही का प्रदेश-व्यापी अभियान प्रारंभ किया गया है।

18. इस अभियान के अंतर्गत दिनांक 01 अप्रैल, 2020 से प्रारंभ कर अब तक लगभग 1 हजार 500 भू-माफिया एवं शासकीय भूमि पर अवैध कब्ज़ा करने वालों को चिन्हित किया जाकर उनके कब्ज़े से 3 हजार 300 एकड़ से अधिक शासकीय भूमि मुक्त कराई गई है। उक्त भूमि का अनुमानित मूल्य 8 हजार 800 करोड़ रुपये से अधिक है। भू-माफिया के विरूद्ध अब तक कुल 384 अपराध पंजीबद्ध किए जा चुके हैं।

19. चिटफण्ड कंपनियों के 1 हजार से अधिक आरोपियों के विरूद्ध 268 अपराध पंजीबद्ध किए जा चुके हैं। सरकार के प्रयासों से अब तक 52 हजार से अधिक निवेशकों को चिटफण्ड कंपनियों से 700 करोड़ रूपए से अधिक की राशि वापस दिलाई जा चुकी है।

20. प्रदेश में मिलावटखोरों के विरूद्ध कुल 172 एफ.आई.आर. दर्ज की गई हैं तथा 10 मिलावटखोरों के विरूद्ध राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के अंतर्गत कार्यवाही कर उन्हें जेल भेजा गया है। कुल 227 मिलावटखोरों को अब तक गिरफ्तार किया जा चुका है। अब तक लगभग 4 करोड़ की

अनुमानित कीमत के मिलावटी खाद्य पदार्थ जप्त किए गए हैं। खाद्य सामग्री में मिलावट करने के दोषियों पर कठोर कार्यवाही सुनिश्चित करने के लिए भारतीय दण्ड विधान में संशोधन कर 06 माह के कारावास की सजा के स्थान पर अब आजीवन कारावास का प्रावधान प्रस्तावित किया गया है।

21. मध्यप्रदेश में 9 जनवरी, 2021 से धार्मिक स्वतंत्रता अध्यादेश, 2020 प्रभावशील हो गया है। इसके अंतर्गत जबरन, भयपूर्वक, डरा-धमकाकर, प्रलोभन देकर, बहला-फुसलाकर, धोखा देकर, झूठ बोलकर धर्म परिवर्तन कराने एवं विवाह करने तथा करवाने वालों के विरूद्ध कड़ी सजा एवं जुर्माने के प्रावधान किए गए हैं। विभिन्न स्थानों से अपहरण की गईं प्रदेश की 9 हजार 500 से अधिक बेटियों को अपहरणकर्ताओं के चंगुल से छुड़ाकर वापस उनके परिवार तक पहुँचाया गया है। मेरी सरकार माफिया के विरूद्ध सख्त कार्यवाही निरंतर जारी रखेगी।

22. राजस्व विभाग से जुड़ी नागरिकों की समस्याओं के त्वरित और पारदर्शी निराकरण हेतु नायब तहसीलदार से लेकर राजस्व मंडल तक के 1 हजार 589 से अधिक राजस्व न्यायालय, रेवेन्यू केस मैनेजमेंट सिस्टम से जोड़े जा चुके हैं।

23. माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में देश की स्वतंत्रता के बाद पहली बार "स्वामित्व योजना" के माध्यम से ग्रामीण आबादी क्षेत्र के अधिकार-अभिलेख एवं नक्शों का निर्माण किया जा रहा है। ग्रामीणजन अब इन अभिलेखों के आधार पर कृषि भूमि की भाँति आबादी की भूमि को बंधक रखकर बैंक से ऋण प्राप्त कर सकते हैं। "स्वामित्व योजना" के अंतर्गत सर्वे का कार्य प्रदेश के 20 जिलों में प्रारंभ हो गया है। आगामी तीन वर्ष में सभी ग्रामों की आबादी के सर्वे का कार्य पूरा किया जाएगा।

24. भौतिक अधोसंरचना का तेज गति से विकास आत्म-निर्भर मध्यप्रदेश के निर्माण का अभिन्न अंग है। कोरोना संकट से निपटते हुए मेरी सरकार द्वारा अधोसंरचना विकास को प्रभावित नहीं होने दिया गया। सड़क, ऊर्जा, जल-प्रदाय, नगरीय अधोसंरचना, शिक्षा सुधार एवं सिंचाई क्षेत्रों में 48 हजार करोड़ रुपये से अधिक की बाह्य वित्त पोषित परियोजनाओं पर अमल किया जा रहा है।

25. मेरी सरकार उपभोक्ताओं और किसानों को सुचारू रूप से बिजली की उपलब्धता और विद्युत क्षेत्र के निरंतर विकास और विस्तार के लिए प्रतिबद्ध है। इस वर्ष उपलब्ध क्षमता में 394 मेगावॉट की वृद्धि की गई। अति उच्च दाब के 14 नए उप केन्द्रों की स्थापना और 1 हजार 72 सर्किट किलोमीटर अति उच्च दाब लाइनों का निर्माण

करने के साथ ही दो हजार से ज्यादा वितरण ट्रांसफार्मरों की स्थापना की गई, जिससे 1 लाख 90 हजार उपभोक्ताओं की संख्या में वृद्धि हुई। पिछले वर्ष की अपेक्षा इस वर्ष 9 प्रतिशत अधिक बिजली प्रदाय की गई। प्रदेश में पारेषण हानियाँ अब मात्र 2.59 प्रतिशत रह गई हैं ।

26. कोरोना महामारी के कारण लॉकडाउन अवधि में प्रदेश के सभी वर्ग के उपभोक्ताओं को विद्युत देयकों में लगभग 1 हजार करोड़ रूपये की राहत प्रदान की गई। शहरी क्षेत्रों में मीटरीकरण, वितरण प्रणाली के सुदृढ़ीकरण तथा आईटी संबंधी 50 परियोजनाओं के कार्य 1 हजार 562 करोड़ रूपये के व्यय से पूरे किये गये हैं।

27. कृषि कार्य के लिए 22 लाख उपभोक्ताओं को फ्लेट दरों पर बिजली दी जा रही है। एक हेक्टेयर तक की भूमि और गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाले अनुसूचित जाति एवं जनजाति के 8 लाख कृषकों को निःशुल्क बिजली दी जा रही है।

28. मेरी सरकार के प्रयासों के फलस्वरूप प्रदेश में नवकरणीय ऊर्जा की स्थापित क्षमता में दस गुना वृद्धि हुई है। वर्ष 2012 में प्रदेश में नवकरणीय ऊर्जा क्षमता 491 मेगावाट थी, जो अब बढ़कर 5 हजार 42 मेगावाट हो गई है।

29. आगर, शाजापुर और नीमच में 1 हजार 500 मेगावाट की सोलर पार्क परियोजना शुरू की गई है। छतरपुर और मुरैना जिलों में 2 हजार 900 मेगावाट क्षमता की सोलर पार्क परियोजना की स्थापना की स्वीकृति भारत सरकार से मिल गई है। ओंकारेश्वर में 3 हजार करोड़ रुपये की लागत से विश्व की सबसे बड़ी 600 मेगावाट क्षमता की सोलर फ्लोटिंग परियोजना स्थापित करने के लिये वर्ल्ड बैंक व्दारा सर्वे किया जा रहा है। सभी परियोजनाएँ वर्ष 2023 तक पूरी करने का लक्ष्य है। सोलर रूफटॉप की साढ़े 3 हजार परियोजनाओं का कार्य वर्ष 2021-22 में पूरा हो जायेगा।

30. रीवा जिले में स्थापित देश की बड़ी परियोजनाओं में से एक 750 मेगावाट क्षमता की रीवा अल्ट्रा मेगा सौर परियोजना का शुभारंभ प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने किया है। इस परियोजना से दिल्ली मेट्रो रेल को बिजली उपलब्ध करवाई जा रही है।

31. मेरी सरकार ने मुख्यमंत्री सोलर पंप योजना में किसानों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए इस वर्ष 6 हजार 10 सोलर पंप स्थापित किये हैं। जुलाई 2023 तक 45 हजार सोलर पंप स्थापित किये जायेंगे।

32. प्रदेश में कृषि को लाभ का व्यवसाय बनाने के लिए सिंचित क्षेत्र का निरंतर विस्तार किया जा रहा है। वर्ष 2024-25 तक 65 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई उपलब्ध करवाने का लक्ष्य है। वर्तमान में जल संसाधन एवं नर्मदा घाटी विकास विभाग के माध्यम से लगभग 41 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है।

33. भू-जल स्तर में सुधार एवं बेहतर प्रबंधन के लिए अटल भू-जल योजना में बुंदेलखण्ड अंचल के 9 विकासखण्डों की 672 ग्राम पंचायतों हेतु 314 करोड़ रूपये की स्वीकृति प्रदान की गई है।

34. मेरी सरकार मध्यप्रदेश को आवंटित 18.25 एमएएफ नर्मदा जल का पूर्ण उपयोग सुनिश्चित करने के लिए बांध एवं नहर परियोजनाओं के निर्माण के लिए निरंतर कार्य कर रही है। नर्मदा घाटी परियोजनाओं से इस वित्त वर्ष में 6 लाख 50 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने हेतु नहरों में जल प्रवाह जारी है।

35. प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में इस वर्ष अब तक कुल 251 करोड़ रुपये के व्यय से 4 हजार 200 जल संग्रहण संरचनाएँ निर्मित कर लगभग 18 हजार हेक्टेयर सिंचाई क्षमता विकसित की गई है। इससे 21 हजार 400 किसान परिवार लाभान्वित हुए हैं।

36. मेरी सरकार प्रदेश में सड़कों के नेटवर्क के विस्तार, सड़क सुधार और उन्नयन का कार्य प्राथमिकता से कर रही है। वर्ष 2020-21 में 3 हजार 243 करोड़ रुपये के खर्च से 1 हजार 796 किलोमीटर लंबाई में सड़क निर्माण एवं उन्नयन किया गया। सड़क नवीनीकरण का काम 1 हजार 856 किलोमीटर में किया गया। इसके अतिरिक्त 275 करोड़ रूपये की लागत से बड़े पुल और आरओबी का निर्माण किया गया है।

37. मेरी सरकार गाँवों के सर्वांगीण विकास के लिये संकल्पित है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में इस वर्ष 2 हजार किलोमीटर लंबी सड़कों एवं 208 वृहद पुलों का निर्माण किया गया है। वर्ष 2021-22 में लगभग 5 हजार 200 किलोमीटर लम्बाई की सड़कों का निर्माण किया जायेगा।

38. अब तक मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना में बनाई गई 8 हजार किलोमीटर से अधिक लंबाई की ग्रेवल सड़कों का डामरीकरण कार्य किया गया है। इस वर्ष 1 हजार किलोमीटर से अधिक लम्बाई की ग्रेवल सड़कों का डामरीकरण पूर्ण कराया गया है। प्रदेश के विभिन्न जिलों में 1 हजार 595 राजस्व ग्रामों को सम्पर्कता प्रदान करने के लिये लगभग 3 हजार 700 किलोमीटर लंबाई की सड़कों का निर्माण आगामी चार वर्षों में किया जाना प्रस्तावित है।

39. मुख्यमंत्री शहरी पेयजल योजना में 118 नगरीय निकायों में 1512 करोड़ 99 लाख रूपये की जल-प्रदाय योजनाएँ पूरी हो गई हैं। वर्तमान में 37 नगरीय निकायों में 435 करोड़ रुपये की लागत की योजनाएँ प्रगति पर हैं, जिन्हें मार्च, 2022 तक पूर्ण किया जाना लक्षित है।

40. प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिये मध्यप्रदेश पूरे देश में द्वितीय स्थान पर है। योजना में प्रदेश के सभी नगरीय निकायों को शामिल कर कुल लगभग सवा 7 लाख ईडब्ल्यूएस आवास स्वीकृत किये जा चुके हैं। इनमें से 4 लाख 7 हजार का कार्य शुरू कर 2 लाख 15 हजार आवासों का कार्य पूर्ण हो चुका है।

41. प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) में अब तक लगभग 18 लाख 15 हजार हितग्राहियों के आवास पूर्ण किए गए हैं। वर्ष 2020-21 में 3 लाख आवास पूर्ण कराए गए और 4 लाख 88 हजार नये आवास स्वीकृत किये जा चुके हैं। प्रदेश में अभी तक 51 हजार से अधिक ग्रामीणों को राजमिस्त्री का प्रशिक्षण दिया गया है, जिनमें 9 हजार महिलाएँ हैं।

42. स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) में प्रदेश ने विगत वर्ष की तुलना में एक पायदान आगे आकर देश में तीसरा स्थान प्राप्त किया है। इन्दौर नगर निगम ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करते

हुए लगातार चौथी बार प्रथम स्थान प्राप्त किया है। भोपाल नगर निगम ने राष्ट्रीय स्तर पर संवहनीय स्वच्छतम राजधानी का पुरस्कार प्राप्त किया है। स्मार्ट सिटी रैंकिंग में भोपाल स्मार्ट सिटी को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। स्टेट स्मार्ट सिटी रैंकिंग में मध्यप्रदेश को देश में दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है।

43. स्वच्छ भारत मिशन में 2020-21 में 6 हजार 728 सामुदायिक स्वच्छता परिसरों और 1 लाख 10 हजार व्यक्तिगत शौचालयों का निर्माण किया गया है।

44. मेरी सरकार द्वारा नगरीय निकायों की राजस्व आय में वृद्धि किये जाने के उद्देश्य से संपत्ति कर के अधिरोपण को सुसंगत संशोधन कर कलेक्टर गाईडलाईन से संबद्ध किया गया है।

45. मेरी सरकार द्वारा प्रदेश की जल-संपदा को संरक्षित करने के समस्त प्रयास किए जा रहे हैं। अमरकंटक से अलीराजपुर तक के 50 स्थानों पर नर्मदा नदी के जल की गुणवत्ता का मापन किया जा रहा है। वायु गुणवत्ता मापन स्टेशन 10 जिला मुख्यालयों पर स्थापित किए गए हैं। अब तक 41 हजार टन से अधिक प्लास्टिक वेस्ट का उपयोग सीमेंट उद्योगों में किया गया है।

46. जल जीवन मिशन के अंतर्गत मेरी सरकार का लक्ष्य वर्ष 2023 के अंत तक प्रदेश के एक करोड़ से

अधिक ग्रामीण परिवारों को घरेलू नल कनेक्शन से शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने का है। इस वर्ष में 15 लाख से अधिक नल कनेक्शन लगाये जा चुके हैं। मिशन में 5 हजार करोड़ रूपये से अधिक की लागत की लगभग 9 हजार 800 एकल ग्राम नल-जल योजनाएँ तथा 6 हजार 128 करोड़ रूपये की लागत की 11 समूह जल-प्रदाय योजनाएँ स्वीकृत की गयी हैं। इन योजनाओं से 32 लाख घरेलू नल कनेक्शन उपलब्ध कराये जायेंगे। इस वित्त वर्ष में रूपये 2 हजार 166 करोड़ रुपये से अधिक की लागत की 48 समूह जल-प्रदाय योजनाओं का क्रियान्वयन कर 10 हजार 254 ग्रामों में घरेलू नल कनेक्शन उपलब्ध कराया जायेगा।

47. मेरी सरकार द्वारा प्रदेश की पर्यटन संपदा को विकसित और सुव्यवस्थित बनाने के लिए विशेष प्रयास किये जा रहे हैं। धार, शहडोल और बालाघाट में 3 नए फूड क्राफ्ट इंस्टीट्यूट स्थापित किये जा रहे हैं। प्रसाद योजना में अमरकंटक के विकास के लिए लगभग 50 करोड़ रुपये की योजना स्वीकृत की गई है।

48. मध्यप्रदेश के पर्यटन स्थलों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी मान्यता मिली है। लोनली प्लानेट द्वारा जारी दुनिया के 10 बेस्ट वेल्यू डेस्टिनेशन्स, 2020 की रैंकिंग में मध्यप्रदेश तीसरे स्थान पर है। मध्यप्रदेश पर्यटन की वीडियो फिल्म, "जापान वर्ल्ड'स टूरिज्म फिल्म फेस्टिवल 2020" में

मेमोरीज़ ऑफ डेस्टिनेशन श्रेणी में दुनिया की सर्वश्रेष्ठ पर्यटन फिल्मों में चुनी गई है। प्रदेश को बेस्ट वाइल्ड लाइफ डेस्टिनेशन अवार्ड से पुरस्कृत किया गया है।

49. सिंगरौली में नवीन हवाई पट्टी बनाने की स्वीकृति दी गई है। इन्दौर विमानतल को कस्टम नोटिफाईड एयरपोर्ट घोषित किया गया है। इन्दौर से दुबई के लिये उड़ान संचालित हो रही है। इन्दौर विमानतल से कार्गो सेवा भी वर्तमान में चालू है।

50. शिक्षा एवं स्वास्थ्य, समाज की मूलभूत आवश्यकता है। कोविड काल के दौरान यह स्पष्ट रूप से सिद्ध हुआ है कि इन दोनों क्षेत्रों में निवेश वस्तुतः राष्ट्र के उज्जवल और निरामय भविष्य के निर्माण में निवेश है। यही कारण है कि स्वास्थ्य और शिक्षा सेवाओं के सुदृढ़ीकरण को आत्म-निर्भर मध्यप्रदेश के निर्माण के रोडमैप में प्रमुख स्तंभ के रूप में सम्मिलित किया गया है।

51. मेरी सरकार स्वास्थ्य के क्षेत्र में जन-कल्याणकारी योजनाओं का लाभ आमजन को सुगमता से प्रदान करने हेतु कटिबद्ध है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा 16 जनवरी, 2021 को पूरे देश में कोविड वैक्सीनेशन के शुभारम्भ के साथ ही मध्यप्रदेश में भी टीकाकरण का कार्य चरणबद्ध एवं

सुनियोजित रूप से प्रारंभ हो गया है। प्रथम डोज टीकाकरण में मध्यप्रदेश, देश में अग्रणी स्थान पर है।

52. आयुष्मान भारत "निरामयम" योजना के अंतर्गत अब तक 02 करोड़ 07 लाख से अधिक आयुष्मान कार्ड सत्यापित किये गये हैं। आयुष्मान कार्ड सत्यापन के मान से मध्यप्रदेश, पूरे देश में प्रथम स्थान पर है।

53. प्रदेश के 11 हजार 691 उप स्वास्थ्य केन्द्रों तथा 1 हजार 200 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को हेल्थ एण्ड वेलनेस सेंटर्स में परिवर्तित किया जा रहा है। मातृ स्वास्थ्य को सुदृढ़ करते हुए प्रदेश के एक हजार 600 प्रसव केन्द्र अत्याधुनिक प्रसव केन्द्र के रूप में विकसित किये जायेंगे।

54. प्रदेश के शासकीय चिकित्सा महाविद्यालयों की विभिन्न स्तर की 3 हजार 643 संस्थाओं के साथ मैपिंग की गई है। इससे रेफरल सेवाएँ, परामर्श तथा उपचार की गुणवत्ता में वृद्धि होगी। साथ ही दूरस्थ क्षेत्रों के गंभीर बीमारी के रोगियों को बिना देरी के चिकित्सकीय लाभ उपलब्ध हो सकेगा।

55. मेरी सरकार द्वारा इंदौर एवं रीवा के अतिरिक्त शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय रतलाम, विदिशा एवं शहडोल में भी नवीन मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल प्रारंभ किए

जा रहे हैं, जिसके फलस्वरूप प्रदेश में 02 हजार 250 बिस्तरों की तृतीयक चिकित्सा सेवा की वृद्धि होगी।

56. प्रदेश के श्योपुर, मण्डला, नीमच, मंदसौर, सिंगरौली एवं राजगढ़ जिले में चिकित्सा महाविद्यालय प्रारंभ किये जाने के लिए सैद्धांतिक सहमति के साथ 300 करोड़ रुपये की राशि प्रथम किश्त के रूप में प्राप्त हुई है। इन कॉलेजों के निर्माण से 900 एम.बी.बी.एस. सीट की वृद्धि संभव हो जाएगी। दमोह, सिवनी एवं छतरपुर में चिकित्सा महाविद्यालय स्वीकृत किए गए हैं।

57. प्रदेश में आयुष चिकित्सा सुविधाओं को बढ़ावा देने के लिये चार 50 बिस्तरीय पंचकर्म सुपर स्पेशलिटी अस्पतालों का निर्माण किया जा रहा है। आयुर्वेद औषधालयों में 362 आयुष्मान हेल्थ एण्ड वेलनेस सेंटर स्वीकृत कर 100 हेल्थ वेलनेस सेंटर शुरू किये जा चुके हैं। यूनानी महाविद्यालय, भोपाल में 5 करोड़ 16 लाख रूपये की लागत से बालिका छात्रावास के निर्माण की स्वीकृति दी गई है।

58. लाड़ली लक्ष्मी योजना में अब तक 37 लाख से अधिक बालिकाओं को लाभान्वित किया जाकर 8 हजार करोड़ रुपये से अधिक का व्यय किया गया है। इस वित्तीय वर्ष में 1 लाख 80 हजार से अधिक लाड़ली लक्ष्मी बालिकाओं को छात्रवृत्ति प्रदान की जा चुकी है। प्रधानमंत्री

मातृ वंदना योजना में लगभग 21 लाख हितग्राहियों को लाभान्वित किया जाकर 880 करोड़ रुपये का व्यय किया गया है।

59. मेरी सरकार ने स्कूलों में बेहतर और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने का बीड़ा उठाया है। नई शिक्षा नीति, 2020 के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध है। "सीएम राइज" योजना के माध्यम से प्रदेश में 9 हजार 200 सर्व संसाधन संपन्न विद्यालयों की स्थापना की कार्य-योजना है। प्रतिभाशाली छात्र प्रोत्साहन योजना में पात्र 40 हजार से अधिक विद्यार्थियों को लैपटाप खरीदने के लिए प्रति विद्यार्थी 25 हजार रूपये की राशि प्रदान की गई है।

60. अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, घुमक्कड़-अर्ध घुमक्कड़ एवं अन्य पात्र विद्यार्थियों को लगभग 676 करोड़ रूपये की छात्रवृत्ति वितरित की गई है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम में गैर अनुदान प्राप्त अशासकीय विद्यालयों में वंचित समूह एवं कमजोर वर्ग के बच्चों को नि:शुल्क प्रवेश के लिए 273 करोड़ रूपये की राशि स्वीकृत की गई है।

61. अनुसूचित जाति के 35 विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाने हेतु 5 करोड़ 56 लाख रूपये की सहायता दी गई है। संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं की

तैयारी के लिए 100 विद्यार्थियों को दिल्ली की प्रतिष्ठित कोचिंग संस्थाओं में प्रवेश दिलाया गया है।

62. आकांक्षा योजना में कक्षा 11वीं और 12वीं के 721 विद्यार्थियों को प्रतिष्ठित कोचिंग संस्थाओं के माध्यम से राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराने पर 7 करोड़ 64 लाख रूपये से अधिक की राशि व्यय की गई है। 24 कन्या शिक्षा परिसर एवं 4 गुरूकुलम आवासीय विद्यालयों को एकलव्य विद्यालयों में अपग्रेड कर सीबीएसई पाठ्यक्रम की शिक्षा दी जायेगी।

63. मेरी सरकार द्वारा मध्यप्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का राष्ट्रीय आयोग की तर्ज पर पुनर्गठन किया गया है। पिछड़ा वर्ग पोस्ट मेट्रिक छात्रवृत्ति योजना में वर्ष 2020-21 में अब तक 3 लाख 75 हजार विद्यार्थियों को लगभग 465 करोड़ रुपये की छात्रवृत्ति राशि वितरित की गई है। विदेश अध्ययन छात्रवृत्ति योजना में 40 विद्यार्थियों को वर्ष 2020-21 में अब तक 11 करोड़ 92 लाख रुपये की छात्रवृत्ति स्वीकृत की गई है।

64. मेरी सरकार द्वारा कोराना महामारी के दौरान शिक्षा में आई बाधाओं को दूर करते हुए "अब पढ़ाई नहीं रूकेगी" थीम पर एक अप्रैल 2020 से रेडियो स्कूल शुरू किया गया। "हमारा घर-हमारा विद्यालय" योजना शुरू कर

कक्षा 1 से 12 तक के विद्यार्थियों के लिए प्रतिदिन की पढ़ाई संबंधी समय-सारणी मुद्रित कर उपलब्ध करवाई गई। शासकीय स्कूलों में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं को दो जोड़ी गणवेश इस वर्ष स्व-सहायता समूह के माध्यम से उपलब्ध करवाए जा रहे हैं।

65. मेरी सरकार उच्च शिक्षा में सुविधाओं के विस्तार और गुणात्मक विकास के लिए कृत संकल्पित है।

66. राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान अंतर्गत 11 नवीन आदर्श डिग्री महाविद्यालयों की स्थापना का कार्य प्रगति पर है। इसके अतिरिक्त परियोजना अंतर्गत 105 महाविद्यालयों के उन्नयन हेतु 554 करोड़ रूपये का अनुदान दिया गया है। विश्व बैंक परियोजना तथा राज्य योजना मद से 75 महाविद्यालयों के भवन निर्माण का कार्य प्रचलित है। विश्व बैंक की सहायता से 200 चयनित महाविद्यालयों के उन्नयन का कार्य भी प्रगति पर है। भोपाल में अजीम प्रेमजी विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु रियायती दर पर भूमि आवंटित की गयी है।

67. मेरी सरकार खेलकूद और खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए प्राथमिकता के साथ कार्य कर रही हैं. राज्य की अकादमी के खिलाड़ियों ने छह माह में अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में 10 पदक, जिनमें से 6 स्वर्ण

पदक हैं एवं राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में 66 पदक अर्जित कर देश और प्रदेश को गौरवान्वित किया है। वर्तमान में 25 खिलाड़ी भारतीय दल के लिए ओलम्पिक क्वालिफायर केम्प में प्रशिक्षण ले रहे हैं।

68. ग्वालियर में 50 एकड़ भूमि पर विश्वस्तरीय खेल परिसर तथा भोपाल में 50 एकड़ भूमि पर विश्व-स्तरीय इंटीग्रेटेड स्पोर्ट्स कॉम्पलेक्स तथा विश्व-स्तरीय स्पोर्ट्स साइंस सेंटर की स्थापना प्रस्तावित है।

69. आत्म-निर्भर मध्यप्रदेश रोडमैप में अर्थ-व्यवस्था एवं रोज़गार पर विशेष फोकस किया गया है। मेरी सरकार यह सुनिश्चित करने का प्रयास कर रही है कि प्रदेश के हर नागरिक को अपनी क्षमताओं और कौशल को बढ़ाने का अवसर मिले।

70. मेरी सरकार कृषि के विकास और किसान-कल्याण को समर्पित सरकार है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में 78 लाख किसानों को इस वित्त वर्ष में 5 हजार 474 करोड़ रूपये से अधिक की राशि का वितरण किया गया है। मुख्यमंत्री किसान-कल्याण योजना लागू कर इन किसानों को 4 हजार रुपये अतिरिक्त रूप से हर वर्ष देने की योजना प्रारंभ की गई है। अब तक 37 लाख 50 हजार से अधिक पात्र किसानों को दो-दो हजार के मान से

लगभग 750 करोड़ रूपये का भुगतान ऑनलाईन किया गया है।

71. मेरी सरकार द्वारा रबी विपणन वर्ष 2020-21 में 15 लाख से अधिक किसानों से 1 करोड़ 29 लाख मीट्रिक टन गेहूँ का उपार्जन किया गया। यह देश में किसी भी राज्य का सर्वाधिक उपार्जन है। उपार्जित गेहूँ की कुल राशि लगभग 25 हजार करोड़ रूपये का भुगतान किसानों को किया गया, जो विगत वर्ष से लगभग 11 हजार करोड़ रूपये अधिक है। वर्ष 2020-21 में लगभग 3 लाख किसानों से 8 लाख से अधिक मीट्रिक टन चना, मसूर एवं सरसों का उपार्जन कर 3 हजार 900 करोड़ रूपये से अधिक का भुगतान किसानों को किया गया है।

72. खरीफ में 5 लाख 89 हजार किसानों से 37 लाख 26 हजार मीट्रिक टन धान का उपार्जन किया गया। किसानों को उपार्जित धान की कुल राशि 6 हजार 961 करोड़ रूपये का भुगतान किया गया। इसी प्रकार 1 लाख 95 हजार मीट्रिक टन बाजरा एवं 29 हजार मीट्रिक टन ज्वार का उपार्जन किया गया है।

73. वर्ष 2012-13 से किसानों को शून्य प्रतिशत ब्याज दर पर फसल ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। वर्ष 2020-21 में दिसम्बर तक 12 हजार करोड़ रूपये का ऋण

वितरण किया गया है, जो गत वर्ष से 25 प्रतिशत अधिक है। सहकारी बैंकों एवं प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों को लगभग 800 करोड़ रूपये की शासकीय सहायता स्वीकृत की गयी है। 37 लाख 79 हजार कृषकों को किसान क्रेडिट कार्ड उपलब्ध कराये गये हैं।

74. मेरी सरकार द्वारा प्रदेश के अन्नदाता किसानों की चिंता करते हुए पुराने वर्षों की बकाया फसल बीमा प्रीमियम की राशि रूपये 22 सौ करोड़ का भुगतान किया गया है। इसके फलस्वरूप किसानों को 3 हजार 200 करोड़ रूपये की दावा राशि का भुगतान संभव हुआ। अब तक 44 लाख से अधिक किसानों को बीमा राशि के रूप में 8 हजार 800 करोड़ रूपये से अधिक का भुगतान किया जा चुका है। इस वर्ष खरीफ की फसल के दौरान अतिवृष्टि और कीट व्याधि के कारण फसलों को हुई क्षति की भरपाई हेतु 35 लाख 50 हजार से अधिक किसानों को राहत राशि का वितरण किया जा रहा है। विगत 11 माह में विभिन्न योजनाओं एवं कार्यक्रमों के अंतर्गत प्रदेश के किसानों के खातों में 83 हजार करोड़ रूपये से अधिक की राशि हितलाभ के रूप में अंतरित की गयी है।

75. भारत सरकार की एफपीओ स्कीम के अंतर्गत प्रदेश में आगामी तीन वर्ष में 1 हजार नये किसान उत्पादक संगठनों का गठन किया जाना प्रस्तावित है।

76. मेरी सरकार द्वारा आत्म-निर्भर मध्यप्रदेश के तहत 100 उद्यानिकी नर्सरियों का पी.पी.पी. मोड पर सुदृढ़ीकरण किया जायेगा। बुंदेलखण्ड क्षेत्र में किसानों को पान की खेती से जोड़ा जायेगा। आदिवासी क्षेत्रों में कृषि एवं उद्यानिकी उत्पादों हेतु जैविक प्रमाणीकरण प्रोटोकॉल स्थापित किया जायेगा।

77. मेरी सरकार द्वारा निराश्रित गौ-वंश के व्यवस्थापन हेतु 1 हजार गौ-शालाएँ बनाई जा रही हैं, जिनमें लगभग एक लाख निराश्रित गौ-वंश का व्यवस्थापन हो सकेगा। 905 गौ-शालाओं का संचालन प्रारम्भ हो गया है जिनमें 71 हजार गौ-वंश उपलब्ध हैं। गौ-शालाओं के स्वावलंबन के लिये गौ-काष्ठ, पंचगव्य उत्पादन निर्माण हेतु उपकरण, वर्मी पिट, गमला बनाने की मशीन प्रदाय की जा रही है।

78. लॉक डाउन अवधि के दौरान दुग्ध संघों द्वारा कुल 2 करोड़ 54 लाख लीटर दूध अतिरिक्त रूप से क्रय कर दुग्ध उत्पादकों को 94 करोड़ रुपये की राशि का अतिरिक्त संबल दिया गया है।

79. प्रदेश में 99 प्रतिशत जल-क्षेत्र में मत्स्योत्पादन हो रहा है। प्रदेश में मत्स्योत्पादन तथा मछुओं की आय को

दोगुना करने के उद्देश्य से "प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना" क्रियान्वित की गई है।

80. जिला सहकारी केन्द्रीय बैंकों के माध्यम से 12 हजार पशुपालकों को 42 करोड़ रुपये की कार्यशील पूँजी साख सीमा स्वीकृत की गई है। मत्स्य-पालन हेतु लगभग 03 हजार कृषकों को शून्य प्रतिशत ब्याज दर पर साख सीमा स्वीकृत की गई है।

81. आत्म-निर्भर मध्यप्रदेश अंतर्गत सहकारिता के क्षेत्र में सामान्य सुविधा केन्द्र के रूप में विकसित करने के लिये लगभग 1 हजार 800 पैक्स सहकारी समितियों का चयन किया गया है। वर्ष 2020-21 में 21 लाख 13 हजार मीट्रिक टन उर्वरक का वितरण किया गया, जो गत वर्ष से 3 लाख 9 हजार मीट्रिक टन अधिक है।

82. रोज़गार के अवसरों का सृजन मेरी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है । मनरेगा योजना में वर्ष 2020-21 में 58 लाख 57 हजार जॉब कार्डधारी परिवारों को 30 करोड़ 83 लाख मानव दिवस का रोज़गार सृजित किया गया है, जो कि मध्यप्रदेश के इतिहास में अब तक का सर्वाधिक है। कोरोना काल में 36 लाख 44 हजार नए श्रमिकों को मनरेगा से जोड़ने के लिए "श्रम सिद्धि" अभियान चलाया गया। मनरेगा में मजदूरी एवं सामग्री मद

में कुल 7 हजार 700 करोड़ रुपये से अधिक का व्यय किया जा चुका है।

83. प्रदेश में जिला एवं विकासखंड स्तर पर रोज़गार मेलों के आयोजन से 53 हजार 300 से अधिक आवेदकों को विभिन्न कंपनियों में रोज़गार प्राप्त हुआ है । मेरी सरकार द्वारा कोरोना महामारी के दौरान प्रदेश लौटे 7 लाख 40 हजार से अधिक प्रवासी मज़दूरों का "रोज़गार सेतु पोर्टल" पर पंजीयन कर 44 हजार 600 से अधिक श्रमिकों को विभिन्न संस्थानों में रोज़गार दिलाया गया है ।

84. मेरी सरकार ने स्व-सहायता समूहों की शक्ति को पहचान कर उन्हें जन आंदोलन का रूप दे दिया है। वर्ष 2020-21 में लगभग 33 हजार महिला स्व-सहायता समूहों के माध्यम से 03 लाख 79 हजार परिवारों को जोड़ा गया। इस वर्ष समूहों को 1 हजार 400 करोड़ रुपये का बैंक ऋण उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है, जिसके विरूद्ध अब तक 1 हजार 113 करोड़ रुपये का ऋण उपलब्ध कराया जा चुका है। वर्ष 2021-22 में समूहों को बैंकों के माध्यम से लगभग 01 हजार 800 करोड़ रुपये का ऋण उपलब्ध कराया जायेगा ।

85. कोविड के दौरान सबसे ज्यादा प्रभावित शहरी क्षेत्र के पथ विक्रेताओं की आजीविका को गति देने के

उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा आरंभ की गई पीएम स्वनिधि योजना में अब तक प्रदेश के 2 लाख 54 हजार शहरी पथ विक्रेताओं को 10 हजार रूपये का ब्याजमुक्त ऋण प्रदान किया गया है।

86. मेरी सरकार ने ग्रामीण क्षेत्र के पथ विक्रेताओं को 10 हजार रुपये तक ब्याज रहित ऋण प्रदान करने की मुख्यमंत्री ग्रामीण पथ विक्रेता ऋण योजना शुरू की है। योजना में इस वर्ष अभी तक 1 लाख 14 हजार से अधिक पथ विक्रेताओं को लगभग 115 करोड़ रुपये का ब्याज मुक्त ऋण वितरित किया गया है।

87. मेरी सरकार के प्रयासों से कोरोना महामारी के दौरान भी प्रदेश में 17 वृहद उद्योग स्थापित हुए। इनमें 1 हजार 231 करोड़ रुपये के पूँजी निवेश से 4 हजार 832 व्यक्तियों को रोज़गार प्राप्त हुआ।

88. शिक्षा के वस्तुतः तीन मुख्य उद्देश्य होते हैं- संस्कार देना, ज्ञान देना और कौशल देना। ज्ञान और संस्कार के साथ यदि प्रदेश की युवा जनसंख्या के हाथ में हुनर भी आ जाता है तो वे मानव संसाधन के रूप में प्रदेश की अनमोल एवं ताकतवर पूँजी बन जाते हैं। मेरी सरकार द्वारा मध्यप्रदेश में तकनीकी शिक्षा के विस्तार और गुणवत्ता सुधार के साथ रोज़गार उन्मुखी बनाने के लिए महत्वपूर्ण कदम

उठाये गए हैं। भोपाल में सिंगापुर के सहयोग से 320 करोड़ रुपये की लागत से अत्याधुनिक ग्लोबल स्किल पार्क की स्थापना की जा रही है। यहाँ समय की मांग के अनुसार नवीनतम एवं प्रासंगिक पाठ्यक्रमों के माध्यम से प्रतिवर्ष 6 हजार प्रशिक्षणार्थियों को कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा।

89. प्रदेश के 10 संभागीय आई.टी.आई के उन्नयन एवं नवनिर्माण का कार्य प्रगति पर है। इन आई.टी.आई में प्रशिक्षित युवाओं का तकनीकी कौशल विकास होगा और प्रदेश के उद्योगों को भी लाभ मिलेगा।

90. राज्य के 2 इंजीनियरिंग तथा 5 पॉलीटेक्निक कॉलेजों में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किया जायेगा। उद्योगों के साथ परामर्श कर 25 नए पाठ्यक्रम शुरू किए गए हैं।

91. नवीन आईटी निवेश को आकर्षित करने हेतु प्रदेश के चार महानगरों इन्दौर, भोपाल, जबलपुर और ग्वालियर में आईटी पार्कों का निर्माण किया गया है। इलेक्ट्रानिक्स मैन्युफेक्चरिंग के लिये अधोसंरचना तैयार कर इकाइयों की स्थापना और रोज़गार के अवसरों के सृजन का कार्य किया जा रहा है।

92. मेरी सरकार ने स्थानीय लोगों को रोज़गार के अवसर सुलभ करवाने के लिए "बफर में सफर" योजना अंतर्गत प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यानों के बफर जोन में विभिन्न आर्थिक गतिविधियाँ प्रारंभ की हैं। टाइगर रिजर्व के बफर क्षेत्र में हॉट एयर बैलून, सफारी सेवा भी प्रारंभ की गई है। कान्हा, बांधवगढ़, पेंच एवं सतपुड़ा टाइगर रिजर्व के बफर क्षेत्र में टाईगर सफारी की स्थापना भी की जायेगी।

93. चंबल क्षेत्र में प्रस्तावित "अटल चंबल प्रोग्रेस-वे" प्रदेश के श्योपुर, मुरैना और भिण्ड जिले से होकर गुजरेगा। औद्योगिक विकास के लिये प्रोग्रेस वे के साथ 5 औद्योगिक केन्द्र विकसित करने की योजना है।

94. मेरी सरकार द्वारा प्रदेश में "नर्मदा एक्सप्रेस-वे" भी बनाया जा रहा है। इसमें नर्मदा तट पर स्थित जिलों के समेकित आर्थिक विकास का मॉडल बनाकर नए औद्योगिक पार्क विकसित करने की योजना बनाई गई है।

95. मेरी सरकार द्वारा प्रदेश में फार्मा इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए मोहासा-बाबई, जिला होशंगाबाद में 2 हजार हेक्टेयर से अधिक भूमि पर बल्क ड्रग पार्क की स्थापना का प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा गया है।

96. मेरी सरकार द्वारा प्रदेश में एमएसएमई का जाल बिछाने के लिये विशेष प्रयास किये जा रहे हैं। आत्म-निर्भर

मध्यप्रदेश बनाने की दिशा में क्षेत्र विशेष में क्लस्टरों के विकास के लिये योजनाबद्ध तरीके से कार्य किया जा रहा है। प्रदेश में कुल 216 हेक्टेयर भूमि पर 8 नए औद्योगिक क्षेत्र अधिसूचित किये गये हैं। ग्वालियर में अपेरल सेक्टर पर आधारित इंक्यूबेशन सेंटर का निर्माण किया गया है।

97. मेरी सरकार द्वारा चुनौतियों को अवसरों में बदलने और लोकल को वोकल बनाने के उद्देश्य से "एक जिला-एक उत्पाद" योजना प्रारंभ की गई है। इसके अंतर्गत प्रत्येक जिले से विशिष्ट उत्पाद का चयन कर उसकी राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ब्राण्डिंग तथा मार्केटिंग की जायेगी। प्रदेश के हस्तशिल्प ब्राण्ड "मृगनयनी", खादी ब्राण्ड "कबीरा", ग्रामोद्योग ब्राण्ड "विन्ध्या वैली" तथा रेशम वस्त्रों के ब्राण्ड "प्राकृत" को विभिन्न ई-कॉमर्स प्लेटफार्म्स से जोड़ा गया है।

98. मेरी सरकार श्रमिकों के हितों के संरक्षण के प्रति सजग है। मुख्यमंत्री जन-कल्याण संबल योजना में वित्त वर्ष 2020-21 में लगभग 51 हजार हितग्राहियों को विभिन्न योजनाओं में 456 करोड़ रूपये की सहायता राशि दी गई है। योजना में अब तक 01 लाख 90 हजार से अधिक गरीबों को 1 हजार 654 करोड़ रुपये से अधिक की सहायता दी जा चुकी है।

99. मेरी सरकार द्वारा प्रदेश में वर्तमान में 1 करोड़ 10 लाख पात्र परिवार के 4 करोड़ 72 लाख सदस्यों को खाद्यान्न सुरक्षा का लाभ दिया जा रहा है। अन्त्योदय अन्न योजना के परिवारों को 35 किलोग्राम प्रति परिवार और प्राथमिकता परिवारों को 5 किलोग्राम प्रति सदस्य प्रतिमाह के मान से खाद्यान्न का वितरण एक रूपये प्रति किलो की दर से किया जा रहा है।

100. मेरी सरकार द्वारा विभिन्न श्रेणियों के नवीन चिन्हित व्यक्तियों को पात्रता पर्ची जारी करने का निर्णय लिया गया, जो अभी तक सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से खाद्यान्न प्राप्त करने से वंचित थे। अब तक ऐसे लगभग 09 लाख परिवारों के लगभग 31 लाख सदस्यों को नियमित राशन वितरण किया जा चुका है।

101. प्रदेश में "वन नेशन-वन राशन कार्ड" योजना का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जा रहा है। अब हितग्राही किसी भी दुकान से खाद्यान्न प्राप्त करने हेतु स्वतंत्र है। इंट्रा स्टेट पोर्टेबिलिटी के माध्यम से माह जनवरी 2021 में 3 लाख 85 हजार से अधिक परिवारों द्वारा खाद्यान्न प्राप्त किया गया है।

102. सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत 49 लाख से अधिक हितग्राहियों को लगभग 2 हजार 877 करोड़

रुपये एवं 5 लाख 45 हजार दिव्यांग हितग्राहियों को 325 करोड़ रुपये की राशि का भुगतान पेंशन के रूप में किया गया है।

103. मेरी सरकार ने मुख्यमंत्री अधिवक्ता कल्याण योजना में 189 दिवंगत अधिवक्ताओं के आश्रितों को एक करोड़ 89 लाख रूपये की सहायता दी है। अधिवक्ता सहायता योजना में तीन हजार से अधिक अधिवक्ताओं को 1 करोड़ 52 लाख रूपये से अधिक की सहायता राशि प्रदान की गई है।

104. अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों के विकास कार्यक्रम के तहत चिन्हित श्योपुर, खरगोन, बुरहानपुर एवं महू केन्ट में सदभावना मण्डप के निर्माण के लिए 4 करोड़ 80 लाख रुपये की राशि जारी की गई है। प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम में अल्पसंख्यक वर्ग के लिए भारत सरकार द्वारा चार परियोजनाओं के लिए 358 करोड़ 33 लाख रुपये की स्वीकृति दी गयी है।

105. मेरी सरकार द्वारा भोपाल गैस त्रासदी में मृतकों की स्मृति में एक स्मारक का निर्माण भोपाल में किया जाएगा। यह स्मारक गैस रिसाव के कारण असमय काल-कवलित हुए नागरिकों के प्रति श्रृद्धांजलि के साथ-साथ पर्यावरण संतुलन एवं संरक्षण हेतु निरंतर सजग रहने का

संदेश होगा ताकि भविष्य में कभी कोई शहर ऐसी त्रासदी का सामना न करे।

106. वन्य-प्राणियों के साथ सह-अस्तित्व, उनके प्रति संवेदनशीलता एवं सक्रिय वन्य-प्राणी प्रबंधन के लिए मध्यप्रदेश पूरे भारत वर्ष में प्रख्यात है। यह प्रसन्नता का विषय है कि तेंदुआ गणना में प्रदेश, देश में प्रथम स्थान पर है।

107. मेरी सरकार द्वारा प्रदेश की अनुसूचित जनजातियों को लघु वनोपजों का बेहतर मूल्य दिलाने के लिये 13 जिलों में 86 स्थानों पर वन धन केन्द्र का विकास किया जा रहा है। 18 नवीन लघु वनोपजों को मिलाकर इस वित्तीय वर्ष में कुल 32 लघु वनोपजों के न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण किया गया है।

108. मध्यप्रदेश गौण खनिज नियम में संशोधन किए गए हैं। जहाँ एक ओर उत्खनि – पट्टा आवेदन की सम्पूर्ण प्रक्रिया ऑनलाइन कर दी गयी है, वहीं दूसरी ओर इन संशोधनों के माध्यम से डोलोमाईट, लैटेराईट आदि खनिजों का उत्खनि – पट्टा दिया जाने के प्रावधान किए गए हैं। नियम में संशोधनों के परिणामस्वरूप प्रदेश में खनि-उत्पादन एवं रोज़गार को बढ़ावा मिलेगा ।

109. सांसदों और विधायकों को अपने क्षेत्रों में विकास कार्यों के लिए दी जाने वाली राशि का प्रभावी उपयोग किया गया है। सांसद निधि का 86 प्रतिशत से अधिक राशि उपयोग कर 1 हजार 811 करोड़ रूपये से अधिक के विकास कार्य स्वीकृत किए गए हैं। विधायक निधि से 210 करोड़ रूपये लागत के 9 हजार से अधिक निर्माण कार्य स्वीकृत किए गए हैं।

110. मेरी सरकार लोक कला, साहित्य एवं संस्कृति के संरक्षण एवं संवर्द्धन के लिए प्रतिबद्ध है। भोपाल स्थित शौर्य स्मारक में भारत माता की कांस्य प्रतिमा स्थापित की गई है। धार्मिक स्थलों के जीर्णोद्धार के लिए लगभग 2 करोड़ रूपए की राशि आवंटित की गई और शासन संधारित मंदिर के पुजारियों को 25 करोड़ रूपए से अधिक का मानदेय वितरित किया गया है। राज्य आनंद संस्थान के माध्यम से कोरोना काल में नागरिकों में सकारात्मकता और उत्साह का संचार करने तथा उन्हें तनाव मुक्त बनाने के लिए अल्प विराम कार्यक्रमों का आयोजन किया गया।

111. मेरी सरकार ने कोविड-19 महामारी के कारण वित्तीय क्षेत्र में व्याप्त मंदी के बावजूद जन-हितैषी योजनाओं के क्रियान्वयन में धनराशि की कमी नहीं आने दी है। भारत सरकार द्वारा निर्धारित एक राष्ट्र एक राशन कार्ड, व्यापार करने में आसानी, स्थानीय निकायों को मज़बूत करना एवं

बिजली सम्बन्धी सुधार- इन चारों सुधारों को पूर्ण करने के परिणामस्वरूप प्रदेश को लगभग 9 हजार करोड़ रुपये के अतिरिक्त वित्तीय संसाधन की सुविधा प्राप्त हुई है।

112. मेरी सरकार सुशासन, भौतिक अधोसंरचना, शिक्षा एवं स्वास्थ्य तथा अर्थ-व्यवस्था एवं रोज़गार के स्तंभों के आधार पर तैयार रोडमैप के बलबूते पर मध्यप्रदेश को आत्म-निर्भर बनाने की दिशा में अग्रसर है। कोविड महामारी की चुनौतियों का दृढ़ता से सामना करते हुए विगत लगभग 11 माह में राज्य सरकार द्वारा किए गए कार्य और उठाये गए कदम समाज के सभी वर्गों, विकास के सभी क्षेत्रों एवं सुराज के सभी मापदंडों पर खरा उतरने के सतत प्रयासों के प्रतीक हैं।

113. मेरी सरकार का संकल्प है- मध्यप्रदेश को देश का सबसे अग्रणी, सबसे समृद्ध और सबसे विकसित राज्य बनाना। मेरी सरकार का ध्येय है- अंतिम पंक्ति के अंतिम व्यक्ति के कल्याण के लिए अनवरत कार्य करना। मेरी सरकार का लक्ष्य है– शासन की योजनाओं, कार्यक्रमों और नीतियों का लाभ जन-जन तक पहुँचाना। मेरी सरकार की प्रतिबद्धता है– सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास।

कहीं धूप है, कहीं छाँह है,

उम्मीदों की नयी थाह है ।

आशा और विश्वास जहाँ हैं,

इस जीवन की साँस वहाँ हैं।

114. माननीय प्रधानमंत्रीजी द्वारा दिया गया रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफार्म का मंत्र ही मेरी सरकार का मिशन है। 21वीं सदी को भारत और मध्यप्रदेश की सदी बनाने का हमारा संकल्प आत्म-निर्भर राज्य के निर्माण से ही साकार होगा। इस प्रण को पूरा करने हेतु नयी प्राण-शक्ति के साथ योगदान देने के लिये मैं इस सदन सहित सभी प्रदेशवासियों का आव्हान करती हूँ।

।। धन्यवाद। जयहिन्द। जय मध्यप्रदेश ।।